पटना में दिनांक–21 अक्टूबर, 2016 शुक्रवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

जल संसाधन विभाग

1.	दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर प्रखंड स्थित गरौल वीयर सिंचाई योजना का निर्माण कार्य हेतु रू० 2096.50 लाख (बीस करोड़ छियानवें लाख पचास हजार) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।	1.	**स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

2.	राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल राशि ₹ 25,00,00,000/–(पच्चीस करोड़) रूपये सहायक अनुदान की राशि की व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति।	2.	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

3.	डा० (श्रीमती) चन्द्रलता झा, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, समस्तीपुर के लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	3.	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

5.	बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्त्ता, संयुक्त सचिव एवं अपर सचिव स्तर, में प्रोन्नति देने के संबंध में।	5.	**स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

6.	पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियंता (असैनिक) वेतनमान पी०बी०–4 (37400–67000/–) एवं ग्रेड पे 8900/– के पद से अभियंता प्रमुख–सह– अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव वेतनमान पी०वी०–4 (37400–67000/–) एवं ग्रेड पे 10000/– के पद पर प्रोन्नति के संबंध में।	6.	**स्वीकृत।**

	पथ निर्माण विभाग	
7.	नाबार्ड ऋण योजना (आर०आई०डी०एफ०–XVIII) के तहत सहरसा जिलान्तर्गत कोशी नदी पर बलुआहाघाट एवं गंडौल के बीच निर्माणाधीन पुल के पश्चिमी पहुँच पथ का गंडौल (सहरसा जिला) से बिरौल के पास हाथी–कोठी (दरभंगा जिला) तक पुल–पुलियों, गाईड बाँध, भू–अर्जन, सर्वेक्षण–अन्वेषण एवं निरूपण कार्यों सहित कुल 13.06 कि०मी० लम्बाई के 2 लेन वाला पहुँच पथ का विस्तार कार्य कुल 40445.00 लाख (चार सौ चार करोड़ पैंतालीस लाख रूपये) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	7. **स्वीकृत।**
	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	
9.	लोकहित में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने एवं सकारात्मक सुझावों के आलोक में आवश्यकतानुसार प्रशासनिक व्यवस्था, नीतियों एवं कार्यक्रमों में यथावश्यक संवर्द्धन करने हेतु "लोक संवाद कार्यक्रम" को प्रारंभ किये जाने के संबंध में।	9. **स्वीकृत।**
	गृह विभाग (आरक्षी शाखा)	
10.	माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०–23737/2012 में दिनांक–13.03.2014 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु चौकीदार/दफादार संवर्ग के कर्मियों को समूह 'ग' के पद पर प्रोन्नति हेतु बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2016 की स्वीकृति।	10. **संलेख में सभी स्थानों पर प्रधान दफादार के स्थान पर वरीय दफादार प्रतिस्थापन के साथ स्वीकृत।**